न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– नेहा गिरि, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील संख्या (मु0 न0) 09/2019 आर.सी.एम.एस नं0(2019/00018)

उनवानी प्रकरण:–

1. रामजीलाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद जाति वैश्य निवासी मौहल्ला हनुमान गली सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर ——————————अपीलान्ट।

बनाम

1. तहसीलदार सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर ————रेस्पोडेण्ट।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल. आर. एक्ट विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.2.2019 मु0 न0 160/2019 उनवानी सरकार बनाम रामजीलाल न्यायालय तहसीलदार सरमथुरा धारा 91 एल आर एक्ट।

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री हरिवीर सिहं अभिभाषक
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

निर्णय दिनांक 30.4.2019

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार सरमथुरा के निर्णय दिनांक 15.2.2019 से असन्तुष्ट होकर पेश की है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसील सरमथुरा के खसरा नम्बर 1488/2892 रकवा 0.10 हैक्टेयर किस्म बजड सरकारी भूमि पर अतिचार कर लिया है अतः आप दिनांक 14.2.2019 तक भूमि खाली कर दे अन्यथा प्लीडर द्वारा हाजिर होवें तथा हेतुक दर्शित करे कि आपको वहाँ से बेदखल क्यों न कर दिया जावे जिस पर अपीलान्ट दिनांक 14.2.2019 को हाजिर हुआ और अपना जबाव प्रस्तुत किया जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर ना कर अपीलान्ट की बिना साक्ष्य लिये बिना सुने अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो कि

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

गलत है । अपीलान्ट का एक किता रूपान्तरण शुदा वाणिज्यिक भूखण्ड जिसकी पूर्वी भुजा 160 फुट 2 इंच, पश्चिमी भुजा 240 फुट, उत्तरी भुजा 68 फुट, एवं दक्षिणी भुजा 68 फुट अर्थात 1511.73 वर्गगज का है जिसमें हदूद अरबा इस प्रकार है कि पूर्व में जमीन सिवायचक पश्चिम में जमीन अन्य, उत्तर में जमीन कब्रस्तान तथा दक्षिण में फुटपाथ सडक सरमथुरा से बाडी रोड स्थित है जो आराजी गत खसरा नम्बर 1353/2 रकवा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 1488 रकवा 0.13 हैक्टेयर वाके ग्राम सरमथुरा में स्थित है जिसका अपीलान्ट मालिक एवं आधिपत्यधारी है एवं काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग में ले रहा है अपीलान्ट की वाणिज्यिक भूमि से लगी हुई पूर्व दिशा की ओर सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1488/2892 रकवा 0.10 हैक्टेयर है। अपीलान्ट ने अपने वाणिज्यिक भूखण्ड की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 10.3.2015 को पूर्ण प्रतिफल देकर सदभावना पूर्व मुबलिग 40,000/-रूपये में खातेदार मु.आशादेवी पत्नी हरचरन राधारमण, रामप्रकाश, पंकज, पुत्रगण हरचरन जातिगण वैश्य निवासीगण कस्वा सरमथुरा तहसील सरमथुरा राधारानी पत्नी महेश कुमार पुत्री हरचरन जाति वैश्य निवासी हाउसिग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर से खरीद किया है। उक्त भूमि खरीदने के बाद अपीलान्ट ने अपने भूखण्ड को उपखण्डाधिकारी सरमथुरा से वाणिज्यिक रूपान्तरण करा लिया है जिसमें अपीलान्ट द्वारा 10/-रूपये प्रति वर्गमीटर की राशि मुबलिग 12,640/-जरिये चालान जमा कराई है उसके बाद उपखण्डाधिकारी सरमथुरा द्वारा वाणिज्यिक रूपान्तरण का पट्टा दिनांक 28.10.2016 अपीलान्ट को जारी किया है रूपान्तरण होने के बाद अपीलान्ट ने वर्ष 2017 में अपने उक्त भूखण्ड की चारो ओर से बाउण्ड्रीवाल करा दी एवं टीनसेड डलवा दिया जिसे अपीलान्ट अपने वाणिज्यिक कार्यो के उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है। अपीलान्ट की भूमि से लगी सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1488/2892 रकवा 0.10 हैक्टयर है जिसके फ्रन्ट पर आमिर खॉ पुत्र शहदी खॉ आशिक पुत्र आसीन खॉ, जहीर खॉ पुत्र आसीन खॉ, साबिर पुत्र पप्पू जातिगण मुसलमान निवासी सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर राजस्थान ने अवैध रूप से कब्जा कर दुकानों का निमार्ण करा लिया है जो अपीलान्ट से द्वेश भावना रखते है। उन्होनें एक झूठी शिकायत अपीलान्ट को हैरान परेशान करने के लिए एस. डी. ओ सरमथुरा के यहॉ कर दी जिस पर उपखण्डाधिकारी सरमथुरा ने मौके की रिपोर्ट मँगाई जिस पर पटवारी हल्का ने बिना मुस्तकिल पोइन्ट के सिवायचक खसरा नम्बर 1488/2892 की पैमाईश की गई और अपीलान्ट के भूखण्ड को सिवायचक में बता कर अपीलान्ट के विरूद्ध 91 की कार्यवाही की अनुसंशा कर दी जो कि गलत है एवं काबिल खारिजी है। अपीलान्ट का निर्माण अपीलान्ट द्वारा कय किये गये भूखण्ड स्थित खसरा नम्बर 1488 में हैं 1488/2892 में नहीं है। खसरा नम्बर 1488/2892 के अतिकमियों की झूठी शिकायत पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर आनन फानन में अपीलान्ट के निर्माण को तुड़वाने के आदेश जारी किये है जो गलत है। जबकि उक्त

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

लोग खुद सरकारी नम्बर 1488/2892 पर कब्जा कर दुकानों का निर्माण कर लिया है जिससे जाहिर होता है कि अतिक्रमी के दबाव में आकर एवं पटवारी हल्का झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो कि विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विधिवत सनुवाई नहीं की हैं ना ही अपीलान्ट को सुना गया एवं ना ही पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका दिया गया अपीलान्ट को सुनवाई का बिना अवसर दिये हुये अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विधिवत सुनवाई की होती तो अपीलान्ट अपना साक्ष्य प्रस्तुत करता एवं अपने प्लीडर से पटवारी हल्का से जिरह कराता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से निर्णय पारित किया है अपीलान्ट को विधिवत जबावदेही एवं सुनवाई का मौका नहीं देकर कानूनी भूल की है एवं निर्णय प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 15.2.2019 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में फोटो कॉपी जबाव नोटिस 91 एल.आर. एक्ट दिनांक 14.2.2019, फोटो कॉपी प्रार्थना पत्र आदेश 20 नियम 7 द्वारा रामजीलाल, मौका पर्चा मय नक्शा दिनांक 11.2.2019, फोटो कॉपी नक्शा अक्स खसरा नम्बर 1488 वाके सरमथुरा, बयनामा फोटो प्रति दिनांक 10.3.2015 वहक रामजीलाल, फोटो प्रति कनर्वजन ऑडर दिनांक 28.10.2016 वहक रामजीलाल, असल नोटिस दिनांक 15.2.2019 द्वारा तहसीलदार, नोटिस 91 एल. आर. एक्ट की प्रतिलिपि पेश की ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अकिंत तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 एल आर एक्ट के तहत नोटिस जारी किया जिस पर अपीलान्ट दिनांक 14.2.2019 को न्यायालय में हाजिर हुआ और अपना जबाव प्रस्तुत किया । अपीलान्ट के जबाव पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर ना कर अपीलान्ट की बिना साक्ष्य लिये बिना सुने निर्णय पारित कर दिया जो कि विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट का एक किता रूपान्तरण शुदा वाणिज्यिक भूखण्ड है जिसका अपीलान्ट मालिक एवं आधिपत्यधारी है एवं काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग में ले रहा है अपीलान्ट की वाणिज्यिक भूमि से लगी हुई पूर्व दिशा की ओर सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1488/2892 रकवा 0.10 हैक्टेयर है। अपीलान्ट ने अपने वाणिज्यिक भूखण्ड की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

10.3.2015 को कय किया है। उक्त भूखण्ड का कनवर्जन कराकर पट्टा प्राप्त करने के पश्चात् अपीलान्ट ने वर्ष 2017 में भूखण्ड की चारो ओर से बाउण्ड्रीवाल करा दी एवं टीनसेड डलवा दिया । अपीलान्ट की भूमि से लगी सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1488/2892 रकबा 0.10 हैक्टेयर है जिसके फन्ट पर आमिर खॉ पुत्र शहदी खॉ आशिक पुत्र आसीन खॉ, जहीर खॉ पुत्र आसीन खॉ, साबिर पुत्र पप्पू जातिगण मुसलमान निवासी सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर राजस्थान ने अवैध रूप से कब्जा कर दुकानों का निमार्ण करा लिया है जो अपीलान्ट से द्वेश भावना रखते है। अपीलान्ट का निर्माण कय किये गये भूखण्ड स्थित खसरा नम्बर 1488 में हैं 1488/2892 में नहीं है। जबकि अन्य लोगों सरकारी नम्बर 1488/2892 पर कब्जा कर दुकानों का निर्माण कर लिया है जिससे जाहिर होता है कि अतिकमी के दबाव में आकर एवं पटवारी हल्का झूठी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विधिवत सनुवाई नहीं की हैं ना ही अपीलान्ट को सुना गया एवं ना ही पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौका पर्चा रिपोर्ट संलग्न नहीं है इससे यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पैमाइश नहीं कराई गई है। तहसीलदार सरमथुरा के बजाय किसी अन्य तहसीलदार से विवादित आराजी के मौके की पैमाईश कराई जावे जिसमें जो भी खर्चा होगा अपीलान्ट वहन करने को तैयार है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिकमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय प्राकृतिक न्याय एवं सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.2.2019 निरस्त किया जाकर पत्रावली पुनः पैमाईश कराकर सुनवाई हेतु रिमाण्ड की जावे।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट जाहिर है कि अपीलान्ट के द्वारा विवादित भूखण्ड पर नवीन अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के साथ जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह अन्य खसरा नम्बरों की है। अपीलान्ट का भूखण्ड विवादित आराजी से लगा हुआ है जिसकी आड में अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर अतिकमण कर बाउण्ड्रीवाल करा लिया है। अपीलान्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील विधिवत हुई तथा अपीलान्ट दिनांक 14.2.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया यदि अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं पटवारी से जिरह करने हेतु समय की मॉग करनी चाहिए थी जो अपीलान्ट द्वारा नहीं की गई। यदि सिवायचक जमीन से अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो अन्य व्यक्तियों द्वारा भी सरकारी जमीन पर अतिकमण करने का साहस होगा । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.2.2019 यथावत रखा जावे ।

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु दिनांक 12.2.2019 को नोटिस जारी किया गया जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 14.2.2019 नियत की गई। नियत दिनांक 14.2.2019 को अपीलान्ट मय अपने अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा नोटिस का जबाव प्रस्तुत कर मौके की पैमाइश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर टीम गठित कर अपीलान्ट की उपस्थिति में पैमाइश हेतु निर्देश दिये तथा पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 15.2.2019 नियत की गई।
2. दिनांक 15.2.2019 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अनुपस्थित मानते हुए मानते हुए यह आदेश दिये कि पुनः पैमाइश उपरान्त भी अतिक्रमण खसरा नम्बर 1488/2892 किस्म बंजड पर साबित। अतः पटवारी हल्का व भू0 अ0 नि0 को मौके से अतिक्रमी को बेदखल करने के आदेश दिये गये।

उक्त दोनों बिन्दुओं के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.2.2019 को पारित आदेश के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौके की पैमाइश हेतु टीम गठित करने के आदेश नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कोई टीम गठित नहीं की है। ना ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाव पर कोई गौर फरमाया गया है ना ही जबाव के सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त की है। दिनांक 15.2.2019 को पारित आदेश के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई मौका पर्चा एवं पैमाइश रिर्पोट उपलब्ध नहीं है इससे यह स्पष्ट है कि बिना मौका पर्चा एवं बिना पैमाइश कराये जो आदेश पारित किया गया है वह विधि एवं विधिक सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस तथ्य की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड से होती है।

उपरोक्त विवचेन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.2.2019 अपास्त कर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.2.2019 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय मौके की पैमाईश हेतु टीम गठित कर विवादित आराजी की पैमाईश अपीलान्ट की उपस्थिति में करावे तथा अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रतिलिपि के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.4.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नेहा गिरि)
जिला कलक्टर धौलपुर